

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रतलाम द्वारा संपन्न किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :-

1 **विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना** :- यह योजना वित्तीय वर्ष 1994-95 से राज्य शासन द्वारा लागू की गई जिसमें प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु रु 20 लाख का आवंटन प्रदान किया जाता है। (यह आवंटन वर्ष 2001-02 से 20 लाख रु से बढ़ाकर रु 40 लाख प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया गया है तथा 2005-06 में 60 लाख की गई तथा वर्ष 2006-07 में 80 लाख एवं वर्ष 2007-08 से लेकर 77 लाख रु. की गई ) योजना में माननीय विधायक महोदय द्वारा अनुशंसित कार्यों की संबंधित विभाग से तकनीकी स्वीकृती प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृती जारी की जाती है तदुपरांत दो समान किष्टों में राशि क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान की जाती है। वित्तीय 1994 से दिसम्बर 2011 में माननीय विधायक महोदय से प्राप्त अनुशंसा, प्राप्त आवंटन, स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि संबंधी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

विधायक निधि का वर्षवार वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रपत्र माह 1994 से दिसम्बर 2011										
जिला :- रतलाम							(राशि लाख रु. में )			
क्र.	विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत कार्य की संख्या	स्वीकृत राशि	क्रियान्वयन एजेंसी को दी गई राशि	एजेंसी द्वारा व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति			
							पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	निरस्त
1	1994-95	39.86	47	39.86	39.86	39.86	47	निरंक	निरंक	निरंक
2	1995-96	121.05	173	121.05	121.05	120.05	172	निरंक	निरंक	1
3	1996-97	139.09	252	139.09	139.09	137.986	250	निरंक	निरंक	2
4	1997-98	100.00	179	100.00	100.00	98.73	170	निरंक	निरंक	9
5	1998-99	100.00	237	100.00	100.00	101.944	232	निरंक	निरंक	5
6	1999-00	98.50	180	98.50	98.50	98.20	179	निरंक	निरंक	1
7	2000-01	101.50	163	101.50	101.50	100.84	159	निरंक	निरंक	4
8	2001-02	197.47	279	197.47	197.47	197.80	278	निरंक	निरंक	1
9	2002-03	202.53	364	202.53	202.53	194.389	360	निरंक	निरंक	4
10	2003-04	200.00	402	200.00	200.00	194.26	386	निरंक	निरंक	16
11	2004-05	200.00	269	200.00	200.00		269	निरंक	निरंक	निरंक
12	2005-06	300.00	382	300.00	300.00	300.00	382	निरंक	निरंक	निरंक
13	2006-07	400.00	415	400.00	400.00	400.00	413	0	निरंक	2
14	2007-08	385.00	333	385.00	385.00	385.00	332	0	निरंक	1
15	2008-09	385.00	342	385.00	385.00	347.27	312	29	1	निरंक
16	2009-10	385.00	265	385.00	385.00	348.00	239	25	1	निरंक
17	2010-11	385.00	313	385.00	385.00	325.00	237	73	3	निरंक
18	2011-12	385.00	249	303.85	260.05	260.05	118	120	11	0
कुल योग		4125.00	4844	4043.85	4000.05	3649.379	4535	247	16	46

2. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** :- यह योजना वित्तीय वर्ष 1993-94 से केन्द्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग, नई दिल्ली द्वारा संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्यों के लिये रु 1 करोड़ का आवंटन (वर्ष 1998-99 से यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ की गई है तथा वर्ष 2011-12 में 5 करोड़ रु. की गई है।) रतलाम जिला तीन संसदीय क्षेत्रों में विभक्त है यथा रतलाम - झाबुआ, आलोट - उज्जैन एवं जावरा - मंदसौर संसदीय क्षेत्र योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन से माननीय सांसदों से प्राप्त अनुशंसानुसार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रशा. स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं स्वीकृत राशि दो समान किशतों में क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान की जाती है।

वर्ष 1993-94 एवं वर्ष दिसम्बर 2011 में जिले को संसदीय क्षेत्रवार प्राप्त आवंटन, प्राप्त अनुशंसा, स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रगति प्रतिवेदन मासांत 1933 से दिसम्बर 2011 की स्थिति में ( वर्षवार )												
जिला :- रतलाम										(राशि लाख रु. में )		
क्र	वित्तीय वर्ष	जिले को आबंटित राशि	सांसद से प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत कार्य		एजेन्सी को प्रदत्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति			
			संख्या	राशि	संख्या	राशि			पूर्ण	प्रगति रत	अप्रारंभ	निरस्त
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1993-94	3.125	6	3.125	6	3.125	3.125	3.125	6	निरंक	निरंक	निरंक
2	1994-95	62.65	62	62.078	62	62.078	62.078	62.078	62	निरंक	निरंक	निरंक
3	1995-96	75.02	90	74.738	90	74.738	74.738	74.738	90	निरंक	निरंक	निरंक
4	1996-97	58.99	78	58.94	78	58.94	58.94	58.94	78	निरंक	निरंक	निरंक
5	1997-98	54.74	49	54.24	49	54.24	54.24	54.24	49	निरंक	निरंक	निरंक
6	1998-99	87.07	84	86.02	84	86.02	86.02	86.02	84	निरंक	निरंक	निरंक
7	1999-00	122.39	107	121.79	107	121.79	121.79	121.79	107	निरंक	निरंक	निरंक
8	2000-01	80.00	71	80.00	71	80.00	77.40	77.40	71	निरंक	निरंक	निरंक
9	2001-02	107.49	101	106.649	101	106.649	105.049	106.649	101	निरंक	निरंक	निरंक
10	2002-03	117.93	124	116.873	124	116.873	109.123	116.873	124	निरंक	निरंक	निरंक
11	2003-04	70.387	132	84.748	132	84.748	80.905	84.685	132	निरंक	निरंक	निरंक
12	2004-05	98.233	104	97.784	104	97.784	87.784	93.925	104	निरंक	निरंक	निरंक
13	2005-06	75.70	46	72.233	46	72.233	71.45	71.445	46	निरंक	निरंक	निरंक
14	2006-07	162.55	102	160.906	102	160.906	149.045	150.506	102	निरंक	निरंक	निरंक
15	2007-08	156.26	78	158.468	78	158.468	144.356	135.088	78	निरंक	निरंक	निरंक
16	2008-09	114.925	83	131.846	83	131.846	131.846	91.109	77	6	निरंक	निरंक
17	2009-10	97.50	69	102.17	63	95.332	79.6265	39.338	41	16	6	निरंक
18	2010-11	113.00	108	104.47045	108	104.47045	92.87050	45.00	33	68	7	निरंक
19	2011-12	192.00	82	122.326	82	122.326	80.84494	36.00	18	64	0	निरंक
कुल योग :-		1849.96	1576	1799.404	1570	1792.57	1671.231	1508.949	1403	154	14	निरंक

3. **म0प्र0 जनभागीदारी योजना** :- राज्य शासन द्वारा विकास योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये म0प्र0 जनभागीदारी योजना नियम 2000 बनाया गया है यह नियम 15.8.2000 से प्रभावशील है।

**योजना का उद्देश्य** :- इन नियमों के उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विकास योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास संबंधी कार्यों में जनसहयोग का अंशदान प्राप्त हो सके व इन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। साथ ही जनता उस सम्पत्ति को अपना मानकर उसका अनुरक्षण, देखरेख के बारे में उत्तरदायी हो सके। ये नियम म0प्र0 शासन के सभी विभागों पर लागू माने जावेंगे।

**राशि का अंशदान, संग्रहण तथा आवंटन प्रक्रिया** :- ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय सर्वप्रथम जनभागीदारी योजनान्तर्गत जिस कार्य को किया जाना है के औचित्य का संकल्प पारित करेंगे तथा जनसहयोग राशि को एकत्रित करेंगे। तथा उसे बैंक में प्रथम खाते में रखा जावेगा जिन व्यक्तियों से जनसहयोग एकत्रित किया जावेगा उन्हें पावती दी जावेगी तथा अपने कार्यालय में ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा पंजी संघारित की जावेगी। वांछित जनसहयोग एकत्रित होने के पश्चात इसकी सूचना जिला कलेक्टर को दी जावेगी, जनभागीदारी के अंशदान के रूप में मानव श्रम तथा ग्राम / नगरवासियों द्वारा संसाधनों (सामग्री दान) की भी गणना की जा सकेगी बशर्त निर्माण कार्य में वह सामग्री गणना योग्य हो।

जिला कलेक्टर द्वारा योजनान्तर्गत राशि जमा होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्रा.पं. / नगरीय निकाय को शासन का अंशदान रिलिज किया जावेगा। अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इस योजना में अनुदान के रूप में जनसहयोग राशि में सांसद निधि / विधायक निधि तथा मंत्री का स्वेच्छानुदान निधियां शामिल नहीं किये जावेंगे।

इस नियम के अन्तर्गत ग्रा.पं. / नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनाओं को तथा ग्रामवासियों के जनोपयोगी योजनाओं को लिया जावेगा। ऐसी योजनाओं / क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिसमें गरीब तबके / अ.जा. / अ.ज.जा. समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हो सके।

इस योजना में बनाई गई सम्पत्ति पर राज्य शासन का स्वामित्व होगा ऐसी सम्पत्ति का विक्रय / हस्तान्तरण उसी तरह होगा जैसे शासकीय सम्पत्ति का किया जाता है।

मध्यप्रदेश जनभागीदारी योजना वर्ष 2000 से 2011 तक की जानकारी दिनांक 31.12.2011

क्र.	वर्ष/माह	प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य			स्वीकृत कार्य की कुल लागत							योजना में किया गया व्यय						कुल व्यय (16+19)	कार्यो की भौतिक प्रगति		
			ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	कुल स्वीकृत कार्य (4+5)	शासन का अंशदान			जन सहयोग का अंशदान				शासन के अंशदान में			जनसहयोग की राशि से				पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
						ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	कुल लागत (9+12)	ग्रामीण क्षेत्र में किया गया व्यय	नगरीय क्षेत्र में किया गया व्यय	योग व्यय	ग्रामीण क्षेत्र में किया गया व्यय	नगरीय क्षेत्र में किया गया व्यय	योग जन सहयोग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2000-01	73.157	26	13	39	51.265	21.892	73.157	34.787	18.284	53.071	126.228	51.265	21.892	73.157	34.787	18.284	53.071	126.228	39	-	-
	2001-02	25.000	8	10	18	13.689	11.311	25.000	8.614	8.771	17.385	42.385	11.929	11.311	23.240	8.114	7.511	15.625	38.865	18	-	-
	2002-03	76.000	14	30	44	26.291	17.709	44.000	10.520	13.399	23.919	67.919	26.291	17.709	44.000	10.520	13.399	23.919	67.919	44	-	यह राशि समर्पित की गई है
	2003-04	28.800	7	8	15	18.638	10.162	28.800	8.435	12.434	20.869	49.669	18.638	10.162	28.800	8.435	12.434	20.869	49.669	15		-
	2004-05	32.000	8	7	15	15.725	13.779	29.504	5.695	9.568	15.263	44.767	15.725	13.779	29.504	5.695	9.568	15.263	44.767	15		-
	2005-06	45.000	16	8	24	36.345	8.665	45.000	12.325	14.380	26.705	71.705	36.345	8.655	45.000	12.325	14.380	26.705	71.705	24		-
	2006-07	50.00	18	6	24	39.4425	10.5575	50.00	21.025	22.1499	43.17	93.17	39.4425	10.5575	50.00	21.025	22.1499	43.17	93.17	22		2 कार्य निरस्त
	2007-08	105.00	42	8	50	91.38	13.63	105.00	36.087	15.769	51.856	156.856	91.375	13.625	105.00	36.087	15.77	51.856	156.856	48		2 कार्य निरस्त
	2008-09	310.00	78	5	83	290.0825	17.0026	307.0851	109.7575	17.5701	127.3276	434.3527	290.0825	17.0026	307.0851	109.8575	17.57	127.3276	434.35	82	-	1 कार्य निरस्त
	2009-10	430.00	94	5	99	403.32	26.68	430.00	157.31	20.94	178.25	608.25	403.32	26.68	430.00	157.31	20.94	178.25	608.25	79	17	3
	2010-11	425.00	104	9	113	430.049	30.246	424.30	225.31	39.791	265.096	689.391	394.049	30.246	427.30	225.305	39.791	265.096	692.591	54	24	28 8 कार्य निरस्त
	2011-12	300.00	69	5	74	277.04	22.93	299.97	149.09	20.95	170.04	470.01	277.04	22.93	299.97	149.09	20.95	170.04	470.01	6	8	60